एक्सटेंशन लेक्चरर्स की 60 वर्ष तक सेवा की मांग खारिज

- हाई कोर्ट ने कहा कि नीति और कानून पूरी तरह स्पष्ट
- 58 वर्ष के बाद सेवा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं

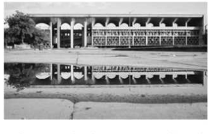

दयानंद शर्मा • जागरण

चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के एक्सटेंशन लेक्चरर्स द्वारा 60 वर्ष तक सेवा जारी रखने की मांग को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि निर्धारित नीति के तहत 58 वर्ष के बाद सेवा में बने रहने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं बनता। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की नीति और कानून दोनों इस मामले में स्पष्ट हैं और इनमें किसी प्रकार की राहत नहीं दी जा सकती। यह फैसला जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने रामपाल सिंह व अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनाया। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बनाए रखने के निर्देश दिए जाएं।

याचिकाकर्ता की तरफ से दलील दी गई कि लेक्चरर्स को हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर्स एवं गेस्ट लेक्चरर (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 का लाभ प्राप्त है और इसके तहत उन्हें कम से कम 58 वर्ष तक सेवा जारी रखने का अधिकार है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भारी कमी है, इसलिए 2022 की अधिसूचना के तहत उन्हें 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तक पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया कि 13 मई 2023 की संशोधित नीति के अनुसार कोई भी एक्सटेंशन लेक्चरर 58 वर्ष की आयु के बाद सेवा में नहीं रखा जा सकता। नीति के क्लाज-27 में यह साफ तौर पर निर्धारित किया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कहा कि 11 नवंबर 2022 की अधिसूचना, जिसका हवाला याचिकाकर्ता दे रहे हैं, केवल नियमित शिक्षकों जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर आदि पर लागू होती है, न कि एक्सटेंशन लेक्चरर पर। याचिकाकर्ता कभी नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त नहीं रहे, इसलिए वह इस प्रावधान का लाभ नहीं ले सकते। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उक्त अधिसूचना केवल एक सक्षम प्रविधान है, जिससे संस्थानों को जरूरत के अनुसार पुनर्नियुक्ति का विकल्प मिलता है, लेकिन यह किसी कर्मचारी को स्वतः अधिकार प्रदान नहीं करती। इसके अलावा, कोर्ट ने पूर्व के मामलों का हवाला देते हुए कहा कि नीति में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 58 वर्ष पूरी तरह वैध है और इसमें कोई मनमानी नहीं है।

नए जिले व तहसीलें बनाने पर जारी रहेगा मंथन, 30 जून तक बढ़ा कमेटी का कार्यकाल

प्रदेश सरकार ने चार दिसंबर 2024 को बनाई थी मंत्रियों की कैबिनेट सब कमेटी

हरियाणा में जनगणना, परिसीमन और एसआइआर का काम पूरा होने तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव पर लगी रोक

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़ : हरियाणा में जनगणना, परिसीमन और मतदाता सूचियों के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) का काम पूरा होने तक भले ही नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप तहसील बनाने पर रोक है, लेकिन मंत्रियों की सब कमेटी प्रस्तावों पर मंथन जारी रखेगी।

प्रदेश सरकार ने विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी का कार्यकाल 30 जून तक बढ़ा दिया है। इस कमेटी में राजस्व एवं निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मामले मंत्री महीपाल सिंह ढांडा और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा शामिल हैं। हरियाणा में नए जिले, उपमंडल, तहसील, उपतहसील, ब्लाक, पंचायतें और पंचायत समितियां बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने चार दिसंबर 2024 को मंत्रियों की उप समिति बनाई थी। तब से इस समिति का कार्यकाल छह-छह महीने के लिए बढ़ाया जाता रहा है। समिति की सिफारिश पर ही हांसी को 23वां जिला बनाया गया था। इसके बाद 31 दिसंबर को समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया, जिससे प्रशासनिक सीमाओं पर मंथन का दौर लगभग थम गया। अब वित्तायुक्त राजस्व डा. सुमिता मिश्रा ने कमेटी का कार्यकाल एक जनवरी से 30 जून तक बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हाल ही में गोहाना रैली में घोषणा कर चुके हैं कि खानपुर कलां उपतहसील को तहसील और बरोदा व फरमाना को उपतहसील बनाया जाएगा। इसी तरह कई अन्य जिलों में तहसील और उपतहसीलों को अपग्रेड किया जाना है, लेकिन जनगणना, परिसीमन और एसआइआर का काम पूरा होने के बाद। जनगणना के चलते पहली जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में परिवर्तन पर रोक लगाई गई है।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक चलेंगी रोडवेज बसें

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: हरियाणा रोडवेज की सीधी सेवा मई से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध होने वाली है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने रूट का सर्वे कर लिया गया है। बस गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और पलवल डिपो से चलेंगी। संख्या कितनी होगी और किराया क्या होगा, यह छह अप्रैल को चंडीगढ़ में होने वाली बैठक में तय होने के बाद बस सेवा आरंभ कर दी जाएगी। फिलहाल हर डिपो से दो-दो बस चलाने की तैयारी है, यात्रियों की संख्या को देख बसें बढ़ाई भी जा सकती हैं। बसें सामान्य या वातानुकूलित श्रेणी की होंगी, यह भी बैठक में तय होगा।

स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली : हरियाणा भाजपा की ओर से छह अप्रैल को होने वाले भाजपा के स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर ली गई है। कार्यक्रम समिति का संयोजक कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी को बनाया गया है, जो समिति सदस्यों के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हर बूथ के लिए विधायक, मंत्री तथा संगठन से जुड़े नेताओं की जिम्मेदारी तय कर जाएगी। उनके ही नेतृत्व में कार्यकर्ता बूथों पर पार्टी का झंडा फहराएंगे। कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की ओर अपने घर तथा प्रतिष्ठान में भी झंडा लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

दादरी में सीसीआइ की जमीन पर आवासीय परियोजना का प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़ : चरखी दादरी के विकास को नई उड़ान देने के लिए अब सीधे दिल्ली दरबार में कार्ययोजना तैयार हो रही है। भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर विकास योजनाओं को रफ्तार देने का खाका पेश किया। दादरी को माडल शहर बनाने के लिए सीसीआइ की जमीन पर प्रस्तावित आवासीय परियोजना पर फोकस रहेगा। सांगवान ने इसे गेम चेंजर बताते हुए कहा कि इससे शहर का विस्तार संगठित तरीके से होगा और आम लोगों को सस्ती व बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री ने भी इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता देने के संकेत दिए, जिससे उम्मीदों को नया बल मिला है। विकास के एजेंडे में बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाना भी प्रमुख रहा। बैठक में 11 अप्रैल को होने वाली विकसित दादरी रैली पर भी चर्चा की गई।

साल भर निष्क्रिय रहने वाले उपभोक्ता भी करा रहे सिलिंडर बुकिंग

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते बाधित हुई गैस आपूर्ति को देख अब उन उपभोक्ताओं ने भी रसोई गैस (एलपीजी) सिलिंडर की बुकिंग करानी आरंभ कर दी जो साल में एक या दो बार सिलिंडर बुक करते थे। ऐसे लोगों की संख्या पूरे प्रदेश में करीब डेढ़ लाख है। यही वजह है कि रोजाना पहले बुकिंग की स्थिति 155 से 20 प्रतिशत थी, वहीं अब यह 80 प्रतिशत पहुंच गई है। इसके चलते बुकिंग के बाद सिलिंडर मिलने की अवधि एक से दो दिन बजाय पांच से छह दिन हो गई है। कई एजेंसी तो 10 से 12 दिन बाद ही सिलिंडर भेज पा रही हैं।

इन उपभोक्ताओं में 20 प्रतिशत लोग ऐसे भी हैं जो अब अपने मूल पते पर नहीं रह रहे हैं। उनके कनेक्शन को उनके परिचित या होटल रेहड़ी संचालक प्रयोग कर रहे हैं। एजेंसी से पर्ची कटवाने के बाद सिलिंडर ले रहे थे, पर अब जब ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया तो मोबाइल नंबर मेल नहीं खाने की वजह से उन्हें सिलिंडर नहीं मिल पा रहे हैं। गैस आपूर्ति करने वाली एक कंपनी के अधिकारी ने बताया कि ऐसे ही लोग गोदाम के पास लाइन लगाने के बाद स्थिति को पैनिक कर रहे हैं।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT

INVITATION FOR BIDS (IFB)

1. The **Executive Engineer, Mandi Division No. I, HPPWD, at Padhar, Distt. Mandi (H.P.)** on behalf of Governor of H.P. invites the percentage rate bids, in electronic tendering system, from the eligible class of contractor registered with HPPWD for the works as detailed in the table.

Name of Work:-1-Restoration of rain damages on Nagrota Segaldugh Chaknwar Pali road Km 0/00 to 9/090 (PDNA-2023) (SH:- Providing and erecting "W" metal beam, Parapet in Km 0/00 to 9/090, WBM GSB, G-II and G-III in Km 8/400 to 8/550) Providing Metalling and Tarring in Km 8/400 to 8/550, Providing and Laying WBM G-III for correction layer and repair of pot holes in Km 0/00 to 9/090)

Estimated Cost (in Rs.):-25,10,606.92 **Starting Date of downloading Bid:-**06.04.2026

Earnest Money (in Rs.):-50,200/- **Deadline for submission of Bid:-** 13.04.2026

The bidders are advised to note other details of tenders from the department website **www.hptenders.gov.in.**

Executive Engineer,
Mandi Division No. I,
H.P.P.W.D., at Padhar Distt. Mandi (H.P.)
On behalf of Governor of Himachal Pradesh

RO No-0106

NOTICE INVITING E-TENDERING

The **Executive Engineer JSV Division Sujanpur** invites following tenders on behalf of Governor of Himachal Pradesh from approved eligible contractors for the following work(s) through e- tendering Process:-

S.	Name of work.	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of Tender	Time
1	Restoration of rain damage of LWSS Patlander in Tehsil Sujanpur Distt. Hamirpur. (SH:- Providing and fixing of copper cable, sluice valve, NRV)	1,58389/-	3168/-	350/-	1 Month
2	Restoration of rain damages of LWSS Logwalti Bomson in Tehsil Tauni Devi Distt. Hamirpur (H.P). (SH:-Manufacturing of common header arrangement at MST Tauni Devi)	1,99560/-	3991/-	350/-	1 Month
3	Restoration of rain damages under Sujanpur Town in Tehsil Sujanpur Distt. Hamirpur (H.P). (SH:-Removal of silt and sludge from water treatment plant sedimentation tank and percolation in LWSS Sujanpur)	1,99614/-	3992/-	350/-	3 Month

Last date of filing/ uploading the tender through e- tendering 10.04.2026 up to 11.00 AM The tender forms and other detailed conditions can be obtained from the website www.hptenders.gov.in. .

Executive Engineer,
JS Division Sujanpur

RO No-0096

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
JAL SHAKTI VIBHAG
"NOTICE INVITING TENDER"

The Executive Engineer Jal Shakti Division Shahpur invites online tenders on behalf of Governor of Himachal Pradesh from approved eligible contractors for the following work(s) through e-tendering process:-

Sr. No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of from	Time Limit
1.	Improvement of LWSS Bhairoon Churtha and Yol in Tehsil Shahpur, Distt. Kangra, (HP) (SH:- C/O Shed near Shiv Temple Village Kuther Ward No-3).	459110/-	9182/-	350/-	6 Month
2.	Providing Sewerage Scheme to Rait and its adjoining area, in Tehsil Shahpur Distt. Kangra (HP) (SH:- Survey investigation and preparation of detailed project report).	556401/-	11128/-	350/-	3 Months
3.	A/R & M/O in WSS Rehlu Rait Nerti in Tehsil Shahpur, Distt. Kangra, (HP) (SH:- Dismentalling & Re-Laying of GI pipe various dia).	220064/-	4400/-	350/-	2 Months
4.	A/R & M/O WSS Rehlu Rait Nerti in Tehsil Shahpur, Distt. Kangra, (HP) (SH:- Providing and supplying of various material JSV Section Rait).	180350/-	3607/-	350/-	1 Month

Last date of filling/uploading the tender through e-tendering 16/04/2026 upto 11.00AM. The tender form and other detailed condition can be obtained from the website www.hptenders.gov.in

Executive Engineer
Jal Shakti Division, Shahpur

RO NO. 0086

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT

E-PROCUREMENT NOTICE
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1.The **Executive Engineer, Electrical Division, H.P.PWD., Mandi H.P.** on behalf of Governor of H.P **Invites** the online bids on **percentage rate** in electronic tendering system in 2 cover system for the following work from the eligible and approved Contractors/Firms registered with H.P.PWD. Department.The following works from Electrical Contractors enlisted in appropriate Class, as detailed in the table:-

Name of Work:-1-Annual Repair and Maintenance and servicing of 8passenger lift elevator installed at Judiciary Court Complex MandiDisttMandi for three years (OTIS) make.

Estimated Cost:-3,94,523 **EMD:-**7,900 **Cost of tender:-**350

Eligible Class of Contractor:-OEM **Time limit:-**Three Years

2. Key dates:-

1	Date of online publication	10.04.2026 at 12:00 A.M.
2	Document uploaded/download start and end date	11.04.2026 at 10:00 A.M. up to 15.04.2026 at 05:00 A.M.
3	Bid submission start and end date	11.04.2026 at 10:00 A.M. up to 15.04.2026 at 05:00 A.M.
4	Date of Technical bid opening	16.04.2026at 11:30A.M.

The bidders are advised to note other detail of tenders from the department website i.e. **www.hptenders.gov.in**

Executive Engineer,
Electrical Division, HP.PWD.,Mandi

RO No-0095 HIM SUCHANA AVAM JANSAMPARK

HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY BOARD LIMITED

(A State Govt. undertaking)
Registered office : Vidyut Bhawan, HPSEBL, Shimla-171004(H.P)
Telephone Number :01899-240628 (Office), 240611(Fax) Website address :www.hpseb.in , Email :sedalhousie@gmail.com

Detailed Tender Notice
(E-Tendering Reverse bidding mode only)

1). Online tender (having two part bid) are invited for the following works, on the prescribed format (Tender Documents). The dates of Sale / Receipt and opening of tenders is as per detail given below. The detailed tender notice can also be downloaded from **website http://www.hptenders.gov.in**

Tender/ Bid No.:-OCD/DB/Bid-01/2026-27

Name of work:-Tender for providing and fixing of equipment / material , design, erection, testing & commissioning for SOP to Jal Shakti Vibhag Bharmour by providing 110.4 KV 250 KVA S/stn. a/w 11 KV HT line & LT line for sewerage treatment plant & by providing strengthening of 11 KV Bharmour feeder to fulfill the load requirement and minimizing power failure to sewerage treatment plant in electrical section Bharmour-II (U) ESD HPSBL Bharmour ED Chamba (T.S. No.)

Estimated amount (Rs.):-Rs. 29,49,134/-
Earnest money (Rs.):-Rs. 29,491/-
Price of tender documents including GST (Non-refundable) (Rs.):-Rs. 1180/
Start date of issue of online tender:-07.04.2026 (11:00 Hrs.)
Last date of online submission of bid:-16.04.2026 (11:00 Hrs.)
Date of opening of Tech. and commercial :-17.04.2026 (11:00 Hrs.)
Date of opening of Price Bid:- Later on

(Er. Rajiv Kumar)
Superintending Engineer,
(OP) Circle, HPSEBL, Dalhousie

RO NO-0036

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT

E-Procurement Notice
``NOTICE INVITING TENDERS``

The **Executive Engineer, Bharwain Division HPPWD Bharwain H.P.** on behalf of Governor of H.P. invites the online bids on percentage rate, in electronic tendering system, in 2 cover system for the under mentioned works from the eligible and approved contractors/ Firms registered with HPPWD Department.

Sr. No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Cost of tender (in Rs)	Time Limit	Eligible class of contractor.
1	2	3	5	6	8	9
1	Restoration of rain damages on Lambasail Mairi road km 0/0 to 2/100(SH:- C/O 900mm dia Hume Pipe Culvert at RD 1/935 and C/O Retaining wall / Wing wall each side at RD 1/929.70 to 1/933.20, RD 1/936.80 to 1/940.30 RHS) Against DC Deposit.	2,88,677/-	5800/-	350/-	Three Months	Class- D & C
2	Restoration of rain damages on Nehri Mairi Jawar road km 0/0 to 9/105 (SH:- C/O U-Shape drain at RD 5/800 to 5/885 RHS & RCC Slab over drain at various RD's) Against DC Deposit.	1,91,436/-	3900/-	350/-	Three Months	Class- D & C
3	Restoration of rain damages on Karluhi to Mandholi road km 0/0 to 5/500 (SH:- C/O Breast wall in km 2/150 to 2/170) Against DC Deposit.	1,43,565/-	2900/-	350/-	Three Months	Class D & C
4	Repair/Restoration of rain damages on link road to Village Sanoh km 0/0 to 2/00 (SH:- C/O U-Shape drain at RD 1/879 to 2/00) DC Deposit.	1,90,688/-	4000/-	350/-	Three months	Class- D & C
5	C/O Health Sub Center building at Chowar Tehsil Amb Distt. Una (HP) (SH:- C/O Main Building, W.S. and S.I., Septic Tank, Rain water Harvesting Tank and site development) Against Deposit	2467174/-	45000/-	500/-	Six Months	Class- D & C
6	Restoration of rain damages on Nandpur Mairi road km 0/0 to 24/195 (SH:- C/O Retaining wall at RD 22/325 to 22/345 LHS)	4,46,810/-	9000/-	350/-	Three Months	Class- D & C
7	Restoration of rain damages on Nehri Mairi Jawar road km 0/0 to 9/105 (SH:- C/O Retaining wall at RD 1/045 to 1/065 RHS)	4,95,492/-	10000/-	350/-	Three Months	Class- D & C
8	Restoration of rain damages on Nehri Mairi Jawar road km 0/0 to 9/105 (SH:- Providing and laying GSB, WMM & Metalling Tarring on damage portion between km 1/235 to 1/305)	6,96,189/-	14000/-	350/-	Three Months	Class D & C

Important Dates

(1)	Staring date of Downloading bid :-	06-04-2026 at 5.00 P.M.
(2)	Deadline for submission of bid :-	17-04-2026 at 5.00 P.M.
(3)	Date of Technical Bid opening	18.04.2026 at 11.30 P.M.

NOTE- The bidders are advised to note other details of tenders from the departmental website: **www.hptenders.gov.in.**

Executive Engineer
Bharwain Division, HP PWD, Bharwain.
On behalf of Governor.of H.P.

RO No-0089

Government of Himachal Pradesh Jal Shakti Department

"NOTICE INVITING E-TENDER"

The **Executive Engineer, Jal Shakti Vibhag, Flood Protection Division, Gagret (HP)** invites online e-tender on behalf of Governor of Himachal Pradesh from approved eligible contractors for the following works through online process :-

Name of work:-1- Swan River Flood Management Project from Daulatpur bridge to Gagret bridge in main Swan River and all tributaries joining Swan River from Daulatpur bridge to Santokhgarh bridge in District Una (H.P) Phase -IV (SH:- Outsourcing of Staff for One Year).

Estimated Cost:-11,09,940/- **Earnest Money:-**22,199/-

Cost of Tender document:-500/- **Time Limit:-**12 (Twelve Month).

1. The last date of physically submission of earnest money deposit and cost of tender documents etc. on **10.04.2026 upto 12:00 PM.**
2. The last date of e-tendering upto **10.04.2026 at 12:00 PM** and the same will be opened on the day on **10.04.2026 at 12:30 PM.**
3. The Tender forms and other detailed conditions can be downloaded from the **http://hptenders.gov.in.**

RO No- 0080 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

ई-निविदा सूचना संख्या पीआई (ईपी)/25-26/जी/05 **फ़ोन नंबर 0172-2756469**

निर्माताओं या उनके एकमात्र अधिकृत वितरकों/एजेंटों से निविदा संख्या 1-3 के तहत विभिन्न वस्तुओं की खरीद के लिए निविदा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। बोलीदाता https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर मौजूद नियम एवं शर्तों के अनुसार अपनी बोली लगा सकते हैं।

क्र.सं	उपकरण/आइटम का नाम	मात्रा	ईएमडी	बोली जमा करने की तिथि	बोली खोलने की तिथि	विभाग का नाम
	गैर-पूर्व बोली मामला					
1.	आयोडीन-131 घोल	800 एमसीआई / साप्ताहिक, कुल 52 खेप	रु.1,20,000/-	21-04-2026	22-04-2026	न्यूक्लियर मेडिसिन
2.	मोलिब्डेनम-99 - Tc-99m कॉलम जनरेटर	1000 एमसीआई / साप्ताहिक, कुल 52 खेप	रु.1,82,000/-	-यथा-	-यथा-	न्यूक्लियर मेडिसिन
3.	पीएसएमए-617 (Lu-177 के साथ लेबलिंग के लिए)	20 मिलीग्राम अर्धवार्षिक, कुल 40 मिलीग्राम, (एक वर्ष में 2 खेप)	रु.1,20,000/-	-यथा-	-यथा-	न्यूक्लियर मेडिसिन

निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.pgimer.edu.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है और वेबसाइट www.eprocure.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है। बोली सुरक्षा (ईएमडी) निविदा दस्तावेजों के अनुसार स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के पक्ष में विधिवत रखी गई तथा जिसकी वैधता कम से कम एक वर्ष हो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी फॉर्म या बैंकर्स चेक या अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट, या फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (एफडीआर) के रूप में होनी चाहिए। निविदाएं ऊपर दी गई तिथियों पर दोप. 12:00 बजे अधिकृत इच्छुक निविदाकारों की उपस्थिति में खोली जाएंगी। निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत नहीं की गई निविदाएं, बोली सुरक्षा के साथ नहीं होने पर सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

नोट 1. पीजीआईएमईआर वेबसाइट पर उपलब्ध मूल निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के नियम और शर्तें वही रहेंगी। हालाँकि, ई-प्रोक्योरमेंट पर ई-टेंडरिंग पर स्विच करने पर, बोलियाँ ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त की जाएंगी और कोई भी बोली भौतिक रूप में प्राप्त नहीं की जाएगी। ईएमडी खरीद शाखा (आयात) में भौतिक रूप में प्राप्त की जाएगी और स्कैन कॉपी को ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट, सीपीपीपी पोर्टल (सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड किया जाना है।

नोट 2. यदि निविदा खोलने की किसी भी तारीख पर पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में छुट्टी होती है, तो उसे अगले पूर्ण कार्य दिवस पर खोला जाएगा।

अतिरिक्त नियम एवं शर्तें.

1. संस्थान ने संशोधित निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) को अपनाया है जो ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट (https://eprocure.gov.in/eprocure/app) और वेबसाइटः www.pgimer.edu.in पर उपलब्ध है। इसलिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे बोली जमा करने से पहले निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
2. उपरोक्त आइटम क्रम संख्या 3 के मामले में सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 के तहत छूट सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई है, इसलिए एनआईटी के अनुबंध 'ए' का पैरा 5 इस मामले में लागू नहीं होगा।

बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

प्रोफेसर प्रभारी (ईपी)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

आंचलिक आपदग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा (जेडओएसएआरबी), एससीओ 1120-1121, सेक्टर 22, चंडीगढ़-160022
मो. 88260-90503, ई-मेल: ARMCHA@bankofbaroda.bank.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

चल/अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
अनुलग्नक-IV [नियम 6(2), 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान देखें]

विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु यह स्कैन करें

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2), 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अधीन अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणी, मोर्टगेजर एवं गारंटरों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को हाईपोथिकेट्ड/मोर्टगेज्ड/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का **बैंक ऑफ बड़ौदा,** सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसकी निम्न वर्णित खातों में देय राशि की वसूली हेतु **"जैसा है, जहां है, जो है जैसा है तथा जहां है जैसा के आधार"** पर बिक्री की जाएगी। ऋणी/मोर्टगेजर/गारंटर/सिक्योर्ड परिसंपत्तियों/देय/आरक्षित कीमत/ई-नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी तथा बोली वृद्धि राशि का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	शाखा एवं ऋणी/गारंटर एवं मोर्टगेजर का नाम एवं पता	ज्ञात भार, यदि कोई हो, के साथ चल/अचल संपत्ति का विवरण	कुल देय राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति (संरचनात्मक/ भौतिक)	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं संपर्क सं.
1.	जेडओएसएआरबी, चंडीगढ़ / मेसर्स श्री गणेश पॉली प्लास्ट प्रा.लि., गांव खेडी, त्रिलोकपुर रोड, काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिप्र.-173021	श्रीमती दविंदर कौर पत्नी श्री अमरजीत सिंह के नाम में नारायणगढ़, तहसील नारायणगढ़, जिला अम्बाला (हरियाणा) में स्थित एमसी मकान सं. 103, वार्ड सं. 3, आबादी देह के भीतर स्थित रिहायशी संपत्ति माप 192.08 वर्ग गज। संपत्ति आईडीः-**BARB377508112102, टिप्पणीः- एसए सं. 110/2021, डीआरटी-II, चंडीगढ़**	रु.5,75,85,683/- + 28.01.2019 से प्रभावी ब्याज एवं अन्य प्रभार, वसूली को कम करके, यदि कोई की गई	22.04.2026 को 14.00 बजे से 18.00 बजे	रु. 25,00,000/- / रु. 2,50,000/- / रु. 1,00,000/-	भौतिक कब्जा	20.04.2026 को प्रातः 11.30 बजे से सायं 04.00 बजे	श्री प्रदीप्त स्वर भारद्वाज मोबाईलः 8826990503

•ईएमडी प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथिः 22.04.2026 को 14.00 बजे तक
•ई-नीलामी प्रारंभ होने की तिथि एवं समयः 22.04.2026 को 14.00 बजे से 18.00 बजे •ईएमडी भुगतान की विधिः एनईएफटी/आरटीजीएस

बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु, कृपया वेबसाईट लिंक https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction और ऑनलाईन नीलामी पोर्टल Baanknet.com पर पधारें।
यह सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 15 दिनों की वैधानिक बिक्री सूचना के तौर पर भी समझी जाए

दिनांक : 04.04.2026 स्थानः चंडीगढ़ **प्राधिकृत अधिकारी**

SBI भारतीय स्टेट बैंक

आपदग्रस्त परिसंपत्ति वसूली शाखा, एससीओ सं. 70, सेक्टर 5, पंचकूला, दूरभाष सं. 0172-2573570, ई-मेल: sbi.51519@sbi.co.in

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अधीन चल/अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणी एवं गारंटरों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को **मोर्टगेज्ड/प्रभारित निन वर्णित अचल संपत्तियों का भारतीय स्टेट बैंक** (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसकी निम्न वर्णित ऋणियों/गारंटरों से **भारतीय स्टेट बैंक, एसएआरबी पंचकूला की नियत राशि (निम्न वर्णित)** की वसूली हेतु 29.04.2026 को "जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है" आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित कीमत, जमा धरोहर राशि प्रत्येक संपत्तियों के अंतर्गत वर्णित की गई है। बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु वेबसाईट (http://baanknet.com) पर पधारें।

ईएमडी एवं दस्तावेज (ऑनलाईन) प्रस्तुतीकरण की अंतिम तिथि एवं समय

29.04.2026 को सायं 04.00 बजे तक अथवा पूर्व बोलीदाता द्वारा आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से मेसर्स पीएसबी एलायंस लि. की ई-नीलामी वेबसाईट https://baanknet.com के साथ पंजीकृत अपने वॉलेट से

क्र. सं.	शाखा का नाम	ऋणी/गारंटर का नाम	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की राशि / मांग सूचना की तिथि / प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जे की तिथि	आरक्षित कीमत / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय / ई-नीलामी की तिथि/समय	संपर्क व्यक्ति
1.	एसएआरबी पंचकूला (51519)	ऋणीः-(1) मेसर्स श्री बाबा बालाजी प्रोडक्ट्स, मधुबन कालोनी, समीप गुरुदवारा मानसा सिंह, कल्याण नगर, समीप राजा वाला तालाब, जगाधरी, जिला यमुनानगर-135003, (2) **श्री मोहिंदर कुमार कंबोज** पुत्र राम प्रशाद कंबोज (होम लोन में प्रोपराईटर एवं ऋणी), मकान सं. 1638, जोहरीपुरा मोहल्ला, जगाधरी, यमुनानगर-135003, (3) **श्रीमती कमलेश रानी** पत्नी मोहिंदर कुमार कंबोज (होम लोन में सह-ऋणी), मकान सं. 1638, जोहरीपुरा मोहल्ला, जगाधरी, यमुनानगर-135003	मौजा जगाधरी मकान सं. 400 वर्तमान में मधुबन कालोनी के नाम से जानी जाती, समीप राजा वाला तालाब, जगाधरी, तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर में स्थित खेवट सं. 850//793, खतौनी सं. 1046 खसरा सं. 100/42 में सम्मिलित भूमि माप 20के-18एम में से 7/418 हिस्से के तौर पर उस पर निर्माण और स्ट्रक्चर माप 200 वर्ग गज अर्थात 00के-07एम के साथ मकान सह वाणिज्यिक संपत्ति (संपत्ति आईडी सं. 4वाई8518एमएन.120) की इक्विटेबल मोर्टगेज, कार्यालय सह-रजिस्ट्रार जगाधरी के साथ पंजीकृत, पंजीकृत बिक्री विलेख सं. 2758 दिनांक 21.06.2012 के अंतर्गत खरीदी गई । "वास्तविक साईट एरिया 193.00 वर्ग गज", **बैंकनैट संपत्ति आईडी**-एसबीआईएन200006391838	Rs. 44,88,182/- / 02.05.2022 / 09.02.2023 / भौतिक कब्जा	Rs. 21,25,000/- / Rs. 2,12,500/- / Rs. 20,000/-	21.04.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 03.00 बजे / 29.04.2026 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 04.00 बजे	श्री वरुण सूद मो. 9988955388 श्री चंचल सिंह मो. 9557170170

ई-नीलामी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:- (ए) बोलीदाताओं को नीलामी की तिथि से काफी पहले **BAANKNET.COM** द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक केवाईसी दस्तावेज़ और पंजीकरण शुल्क जमा करके https://baanknet.com पर अपना पंजीकरण कराना होगा। (बी) ऊपर उल्लिखित संपत्ति आईडी संख्या को देखते हुए, इच्छुक बोलीदाता को संपत्ति के पंजीकरण के समय किसी भी कठिनाई से बचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड/संबंधित राजस्व पोर्टल में आईडी का सत्यापन करना चाहिए। (सी) इच्छुक बोलीदाता को अपने बैंक खाते से एनईएफटी/आरटीजीएस हस्तांतरण के माध्यम से https://baanknet.com पर बनाए गए अपने बोलीदाता खाते में जनित चालान के माध्यम से अपनी ईएमडी राशि स्थानांतरित करनी चाहिए। (डी) इच्छुक बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईएमडी नीलामी की तिथि से कम से कम एक दिन पहले स्थानांतरित हो जाए और यह पुष्टि करनी चाहिए कि https://baanknet.com पर बनाए गए उनके वॉलेट में ईएमडी राशि दिखाई दे रही है, अन्यथा सिस्टम बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा। (ई) बिक्री की पुष्टि होने के बाद सफल बोलीदाता की ईएमडी राशि स्वचालित रूप से बैंक में स्थानांतरित हो जाएगी। (एफ) ई-नीलामी के दौरान, यदि निर्धारित समय के भीतर कोई बोली प्राप्त नहीं होती है, तो भारतीय स्टेट बैंक अपने विवेक से प्रारंभिक मूल्य को संशोधित करने/ई-नीलामी प्रक्रिया को रद्द करने/पारंपरिक निविदा प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का निर्णय ले सकता है। (जी) ई-नीलामी के लिए बैंक/सेवा प्रदाता किसी भी कारण से साइट तक पहुँच में किसी भी रुकावट या देरी के लिए बोलीदाताओं के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। (एच) बोलीदाताओं को ई-नीलामी में भाग लेने से पहले सेवा प्रदाता द्वारा अपनाई गई ई-नीलामी की शर्तों और तौर-तरीकों की स्वीकृति प्रस्तुत करनी होगी। (आई) बोलीदाता द्वारा एक बार जमा की गई बोली को रद्द/वापस नहीं लिया जा सकता है और बोलीदाता अंतिम बोली मूल्य पर संपत्ति खरीदने के लिए बाध्य होगा। बोलीदाता द्वारा यहां उल्लिखित ई-नीलामी की किसी भी शर्त और नियम का पालन न करने पर, दोषी बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। (जे) सफल बोलीदाता की घोषणा के संबंध में अधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम और सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होगा। (के) अधिकृत अधिकारी सफल बोलीदाता की घोषणा से पहले, बिना कोई कारण बताए, किसी भी समय ई-नीलामी प्रक्रिया/निविदा को रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा। (एल) ईएमडी के बिना प्रस्तुत की गई बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी। (एम) सशर्त बोलियों को अमान्य माना जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि बोली/बोलियां जमा करने के बाद, बोली में किसी भी परिवर्तन के संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। (एन) असफल बोलीदाता की ईएमडी https://baanknet.com पर उनके संबंधित वॉलेट में वापस कर दी जाएगी। बोली लगाने वाले किसी भी प्रकार के ब्याज, लागत, व्यय और अन्य शुल्क (यदि कोई हो) का दावा करने के हकदार नहीं होंगे। (ओ) अधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और अधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या नीलामी को स्थगित/स्थगित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार है। बिक्री सुरक्षित लेनदार द्वारा पुष्टि के अधीन है। (पी) चूक करने वाले बोलीदाता द्वारा जमा की गई राशि की ज़ब्ती की स्थिति में, उसका न तो संपत्ति पर और न ही उस राशि के किसी भाग पर कोई दावा होगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है। (क्यू) सफल बोलीदाता को संपत्ति को अपने नाम पर हस्तांतरित करने के लिए सभी आवश्यक व्यय जैसे लागू स्टाम्प शुल्क/अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, पंजीकरण व्यय, शुल्क आदि वहन करने होंगे। (आर) किसी को भी देय सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक देय राशियों, करों, दरों, मूल्यांकनों, शुल्कों आदि का भुगतान केवल सफल बोलीदाता की ही जिम्मेदारी होगी। (एस) बोलियों की वैधता, बोली की राशि, ईएमडी या बोलीदाता की पात्रता के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, बोलीदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का अधिकार, अधिकृत अधिकारी की व्याख्या और निर्णय अंतिम होगा। ऐसी स्थिति में, बैंक अपने विवेक से नीलामी रद्द करने और बैंक द्वारा तय की गई किसी भी तिथि और समय पर संपत्ति को पुनः नीलाम करने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए, बोलीदाताओं को संबंधित बैंक शाखा के संबंधित अधिकृत अधिकारी से ही संपर्क करना होगा। (टी) बोलीदाता को बोली से पूर्व संपत्ति से संबंधित दस्तावेज खरीदने हेतु **एसएआर शाखा-एससीओ 70, सेक्टर 5, पंचकूला** में पधारने का परामर्श दिया जाता है, यदि वे चाहे। (यू) बोलीदाताओं को अपने हित में अचल सुरक्षित संपत्तियों के स्वामित्व और अन्य विवरणों की सत्यता की पुष्टि करने की सलाह दी जाती है, जिसमें संबंधित अचल सुरक्षित संपत्तियों का आकार/क्षेत्र भी शामिल है। बोली जमा करने से पहले, उन्हें संबंधित अधिकारियों से संपत्ति के संबंध में किसी भी अन्य बकाया/देनदारी/भार की स्वतंत्र रूप से पुष्टि कर लेनी चाहिए। अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार किए जाने पर बोलीदाता आकार/क्षेत्रफल में विसंगति, स्वामित्व में दोष, भार या किसी अन्य कारण से अपनी बोली वापस नहीं ले सकता। (वी) यदि बोली की वैधता, बोली की राशि, ईएमडी या बोलीदाता की पात्रता, बोलीदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के अधिकार के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अधिकृत अधिकारी की व्याख्या और निर्णय अंतिम होगा। ऐसी स्थिति में, बैंक अपने विवेक से नीलामी रद्द करने और बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी तिथि और समय पर संपत्ति को पुनः नीलामी के लिए रखने का हकदार होगा। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए, बोलीदाताओं को केवल संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करना होगा। (डब्ल्यू) संपूर्ण विक्रय राशि की प्राप्ति और सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बिक्री की पुष्टि के बाद विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। विक्रय प्रमाण पत्र सफल बोलीदाता के नाम पर जारी किया जाएगा। बोली प्रस्तुत करने वाले/ई-नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के नाम में विक्रय प्रमाण पत्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता का संपर्क नंबर (मोबाइल/लैंडलाइन आदि) **भारतीय स्टेट बैंक, एसएआर शाखा, एससीओ-70, पंचकूला के अधिकृत अधिकारी** को जमा करना होगा। इन दस्तावेजों की मूल प्रतियों की स्कैन की हुई प्रतियां अधिकृत अधिकारी के ईमेल आईडी-sbi.51519@sbi.co.in पर भेजी जा सकती हैं। **प्राधिकृत अधिकारी-दूरभाष:** 0172-2585707

दिनांकः 04.04.2026 स्थानः पंचकूला प्राधिकृत अधिकारी